of Parliament could be finalised and final reply could be sent to them. For the same reason, it may not be appropriate to treat this time taken by the Ministers to send reply as an indication of breach of privilege.

प्रधान मंत्री कार्यालय में स्थापित भ्रष्टाचार रोध सेल

2556. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त मोर्चा के शासन काल में प्रधान मंत्री कार्यालय में स्थापित भ्रष्टाचार रोधी सेल की स्थापना कब की गई थी;

(ख) इस सेल की स्थापना के उद्देश्य क्या थे;

(ग) 28.02.1999 तक इस सेल में भ्रष्टाचार के कितने प्रकरण विभाग – वार प्राप्त हुए; और

(घ) उन पर की गई कार्रवाई एवं सेल की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दन) : (क) इस बारे में पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा घोषणा किए जाने के तत्काल पश्चात ही, प्रधान मंत्री के कार्यालय में दिनांक 17.08.1997 को भ्रष्टाचार निरोधी एकक को स्थापित कर दिया गया था।

(ख) इस एकक का उद्देश्य, भ्रष्टाचार – निरोध संबंधी शिकायतों और मामलों को प्रभावी ढ़ंग से लगातार आगे बढ़ाते रहना और उन पर नज़र रखे रहना है।

(ग) और (घ) शिकायतों संबंधी ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है । देखिए परिशिष्ट 186, अनुपत्र संख्या 46,

सभी शिकायतें प्रत्येक संबंधित मंत्रालय/विभाग में संयुक्त सचिव के स्तर के पदनामित नोडल अधिकारियों को भेज दी जाती है। उपर्युक्त नोडल अधिकारी, एकक द्वारा उन्हें भेजी गई भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें के समन्वयन के उत्तरदायी होते है । संबंधित मंत्रालय/विभाग, भ्रष्टाचार के सभी मामलों की यथा आवश्यक समय-बद्ध जांच-पड़ताल और उनका अनवेषण करवाने के उत्तरदायी, अपने सचिव द्वारा अनुमोदित प्रतिपुष्टि – परक (फीड बैंक) रिपोर्ट पाक्षिक रूप से (हर पखवाड़े में) प्रधान मंत्री के कार्यालय को प्रस्तुत करते है।,

प्रधान मंत्री कार्यालय को प्राप्त हुई शिकायतें

2557. **श्री ईश दत्त साहब** :

चौधरी हरमोहन सिंह यादव :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा प्रतिमाह औसतन कितनी लोक शिकायतें प्राप्त की जाती है;

(ख) कितनी शिकायतों का निवारण किया गया और कितनी शिकायतें लंबित पडी है;

(ग) यह शिकायतें किस प्रकार की है;

(घ) क्या सरकार का ब्लाक-स्तर पर सार्वजनिक शिकायतें निवारण मशीनरी स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ड) यदि नही, तो इसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कादब्बूर एम.आर. जनार्दन) : (क) प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 1.4.98 से 28.02.99 के दौरान प्रत्येक माह प्राप्त हुई लोक शिकायतों की औसत संख्या 10,833 थी।

(ख) प्राप्त हुई सभी शिकायतों की, बिना अपवाद के, छान-बीन की जाती है और इन्हें समुचित कार्रवाई के लिये संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है।

(ग) लोक शिकायतों का संबंध मुखयतः बेरोजगारी, अपर्याप्त एवं घटिया नागरिक सुविधाओं, वित्तीय सहायता कानून और व्यवस्था आदि से होता है।

(घ) और (ड) राज्य, जिला और ब्लाक स्तर पर प्राप्त शिकायतें पर कार्रवाई और उनका निवारण मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों को यह सुझाव देते हुए पत्र लिखे गए है कि वे राज्य, जिला, ब्लाक और तालुका के सभी स्तरों पर उपयुक्त लोग शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें । अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए गए है।

Foreign Training of Government Officials

2558. SHRI GANDHI AZAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether applications received in response to Department of Personnel and Training letter dated 26th February, 1998 regarding foreign training have been processed;